10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
5 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

(119)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 ..R...... 11/12 R 710-I/12

बृजेश पुत्र प्रभूलाल जाति वैश्य निवासी ग्राम जैनी तह0 व जिला श्योपुर म0प्र0 ....आवेदक

बनाम

1–रामस्वरूप पुत्र वल्देव जाति मीना निवास ग्राम सिरसोंद तह0 व जिला श्योपुर म0प्र0

2–म0प्र0 शासन

........................अनावेदक

श्री कृष्णा शर्मा, अभि0 द्वारा आज दि. 26-3-12 को प्रस्तुत
26-3-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

26/3/12

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 27/01/2012

न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय श्योपुर के

प्र0क0 82/10–11 स्वमेव निगरानी अन्तर्गत

धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम जैनी तह0 व जिला श्योपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 118 रकवा 1 वीघा 9 विश्वा , सर्वे क0 179 रकवा 1 वीघा 17 विश्वा कुल किता 2 कुल रकवा 3 वीघा 6 विश्वा के अनावेदक रामस्वरूप पुत्र वल्देव जाति मीना भूमि स्वामी होकर आधिपत्य धारी था । विवादित भूमि को अनावेदक रामस्वरूप द्वारा आवेदक को 15–16 वर्ष पूर्व 15,000रू0 नगद प्राप्त कर मौखिक पट्टे पर जुताया था तभी से आवेदक विवादित भूमि पर काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है ।

2– यह कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार महोदय श्योपुर के समक्ष धारा 169, 190, 110 म0प्र00भू0रा0संहिता के अन्तर्गत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि को अनावेदक रामस्वरूप द्वारा 15,000रू0 नगद लेकर 15–16 वर्ष पूर्व मौखिक पट्टे पर आवेदक को जुताया था । अनावेदक द्वारा आज दिनांक तक वापसी की कोई कार्यवाही नहीं की है। अनावेदक द्वारा विवादित भूमि को धारा 168 के उल्लंघन में जुताये जाने से आवेदक को धारा 169, 190 के अन्तर्गत मौरूषी कृषिक के अधिकार प्राप्त हो गये है तथा धारा 110

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-710-एक/12 **जिला** - श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य <u>आयुक्त चंबल संभाग मुरैना</u>	